# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–346 / 2020–21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

सनिका मुण्डा – विक्रेता

सिलवेस्तर संगा – क्रेता

<table>
<tr><th>आदेश की क्रम संख्या और तारीख</th><th>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित</th></tr>
<tr><td>27.01.21</td><td>

आदेश

आवेदक सनिका मुण्डा पिता स्व0 सुखराम मुण्डा ग्राम–जियारप्पा, पो0–गुटजोरा, थाना–खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने सिलवेस्तर संगा पिता श्री इलियास संगा ग्राम–हड़ामबनम, पो0–डुन्डीगाडा, थाना–खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

| ग्राम | थाना नं0 | खाता नं0 | खेसरा सं0 | रकबा(एकड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| जियारप्पा | 227 | 76 | 2226 | 0.30½ |

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय / जाति प्रमाणपत्र / खतियान एवं लगान की रसीद 0007845866 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 67 दिनांक 20.01.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम मुण्डलु मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार माथु मुण्डा के नाम भूमि 31.23 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 7.80 एकड़ है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020–21 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित 11149.00(ग्यारह हजार एक सौ उन्नचास)रू0 प्रति डीसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 7.49½ एकड़ रह जाती है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सनिका मुण्डा पिता स्व0 सुखराम मुण्डा को सिलवेस्तर संगा पिता श्री इलियास संगा के साथ ग्राम जियारप्पा के खाता सं0 76 खेसरा संख्या 2226 कुल रकबा 0.30½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 11149.00(ग्यारह हजार एक सौ उन्नचास)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 27/01/21

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,<br>खूँटी।

(हस्ताक्षर) 27/01/21

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,<br>खूँटी।

</td><td></td></tr>
</table>